

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर०ए०एस०

संख्या :- 148/24 का पत्र

वास्तु नोकरा 510 इश्वरिया पीला वि० चित्तान्ना-तट्टकरीडा-करेड़ा

फरिद नोकरा 510 वास्तु खां सीमा वि० चित्तान्ना-तट्टकरीडा-करेड़ा
बनाम
विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत
वेदन किया कि ग्राम चित्तान्ना पटवार हल्का चित्तान्ना तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त
की खाता संख्या 404 आराजी नम्बर 2849, 2850,

कुलकिता 2 रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि
है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की
गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24/4/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी
का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम
चित्तान्ना पटवार हल्का चित्तान्ना तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या
आराजी नम्बर 2849, 2850,

कुलकिता 2 रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि
चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक
चित्तान्ना को 450/-/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
स प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व
जजे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावे। फसल
झी होने पर पत्थरगद्दी नही की जावे।

लग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला-भीलवाडा

तिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला-भीलवाडा